

दूर्वा

भाग 1

कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक

(द्वितीय भाषा)



0646

© NCERT
not to be republished

दूर्वा

भाग 1

कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक

(द्वितीय भाषा)



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

मार्च 2006 फाल्गुन 1927

पुनर्मुद्रण

अक्तूबर 2006 कार्तिक 1928

अक्तूबर 2007 आश्विन 1929

जनवरी 2009 माघ 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 पौष 1932

नवंबर 2013 अग्रहायण 1935

दिसंबर 2014 पौष 1936

मई 2016 वैशाख 1938

दिसंबर 2016 पौष 1938

जनवरी 2018 माघ 1939

जनवरी 2019 पौष 1940

PD 25T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ 60.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम.पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा आदर्श प्रा. लि., प्लॉट नं. 106, 107 एवं 108, सेक्टर-1, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, भोपाल 462 023 (म.प्र.) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- ❑ प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- ❑ इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- ❑ इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी., प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016

Phone : 011-26562708

108ए 100 फॉट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्टेकरे
बनाशंकरा III स्टेज
बैंगलूर 560 085

Phone : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर, नवजीवन
अहमदाबाद 380 014

Phone : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस
निकट: धनकल बस स्टॉप
पनिहटी
कोलकाता 700 114

Phone : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021

Phone : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: एम. सिराज अनवर
मुख्य संपादक	: श्वेता उप्पल
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: गौतम गांगुली
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: अरुण चितकारा
संपादक	: मरियम बारा
उत्पादन सहायक	: दीपक जैसवाल

आवरण एवं सज्जा

अरविंदर चावला

चित्रांकन

सुजित कुमार

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत व बहस, और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.सी. देशपांडे की

अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

© NCERT
not to be republished

अध्यापक बंधुओं से

भाषा शिक्षण के विषय में नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम 2005 का दृष्टिकोण बहुभाषिकता का पक्षधर है। यह दृष्टिकोण बहुभाषिक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की भाषा के सम्मान को अनिवार्य रूप से आवश्यक समझता है और यह भी सुझाव देता है कि विद्यार्थी की भाषायी विभिन्नता को शिक्षण-विधियों का हिस्सा मानकर भाषा सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि भाषा एक दूसरे के सान्निध्य में फलती-फूलती है। भाषा शिक्षण की उक्त अवधारणा को **दूर्वा** पुस्तकमाला के निर्माण में आधार बनाने का प्रयत्न किया गया है।

यह पुस्तकमाला कक्षा छह से आठ तक के स्तरों पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण करने वाले हिंदीतर क्षेत्रों के जवाहर नवोदय विद्यालय सहित सभी विद्यालयों के लिए निर्मित की गई है। कक्षा छह के लिए तैयार की गई **दूर्वा** भाग-1 की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. इस पुस्तक में भाषा शिक्षण के लिए सर्वप्रथम चित्र के माध्यम से शब्द परिचय करवाया गया है। इसी के साथ लिपि की संरचना और शब्द के उच्चारण को भी विद्यार्थी जान सकता है। इससे सुनने, बोलने और पढ़ने की क्षमता विकसित हो सकेगी।
2. विद्यार्थियों में सुनने, समझने और बोलने की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ में मौखिक पाठों के साथ ग्यारह पाठ दिए गए हैं। इनमें बारंबारता (फ्रीक्वेंसी) की प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि सिखाई जानेवाली भाषा से विद्यार्थी का परिचय उत्तरोत्तर बढ़ सके। बलाघात, अनुतान आदि उच्चारण संबंधी विशेषताओं को सिखलाने के लिए पाठों में वार्तालाप अधिक रखे गए हैं।
3. पाठों की संरचनाएँ पूर्वनिर्धारित और अभिक्रमिक हैं। जिन पाठों में जो संरचनाएँ शिक्षण बिंदु के रूप में प्रमुखतः निर्धारित की गई हैं, उन्हें ही पाठ में स्वभाविक ढंग से उभारने का प्रयास किया गया है, ताकि विद्यार्थी हिंदी भाषा की संरचना से परिचित हो सके, साथ ही अपनी ज्ञात भाषा और हिंदी की संरचनाओं की समानता तथा उनके अंतर की पहचान भी कर सके।
4. विद्यार्थी के भाषा-परिवेश के समानांतर पाठों के भाषा-परिवेश को भी रखने का प्रयास किया गया है, ताकि वय और संबंध के अनुसार भाषा व्यवहार के विभिन्न स्तरों की जानकारी हो सके। इसके लिए विद्यार्थी से संबंधित विषयों घर-परिवार, विद्यालय, मित्र, खेल का मैदान, बगीचा आदि पर पाठ रखे गए हैं, ताकि उनकी सहभागिता रुचि के साथ बढ़ सके।
5. पाठों के साथ लिखित और मौखिक अभ्यास दिए गए हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, बारहखड़ी एवं संयुक्ताक्षरों के विभिन्न रूपों को वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया गया है। अधिगम की दृष्टि से कठिन माने जानेवाले संयुक्त वर्णों तथा र के तीन रूपों को नवें, दसवें और ग्यारहवें पाठ में सिखाया गया है।
6. पाठ के अभ्यासों में व्याकरणिक भाषा-अभ्यास के बदले भाषा संबंधी सहज प्रयोगों को रखा गया है। बातचीत में प्रयुक्त होनेवाले भाषा-अवयवों, जैसे-‘हाँ-नहीं’ आदि के अंतर को प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है।

7. पाठों का संयोजन इस प्रकार किया गया है जिससे विद्यार्थी हिंदी के विभिन्न भाषा रूपों से परिचित हो सकें, साथ ही संचार के माध्यमों (टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि) में प्रयुक्त भाषा को भी समझ सकें।
8. पत्र-लेखन के विभिन्न पहलुओं को सिखलाने के लिए अलग से एक पाठ दिया गया है।
9. विद्यार्थियों की शब्द संपदा के संवर्धन हेतु समानार्थी और विलोम शब्दों को यथास्थान दिया गया है।
10. शब्द और वस्तु से परिचय के साथ शब्द-लेखन करवाने के लिए चित्रों से शब्दों का मिलान करने तथा खाली स्थान भरने संबंधी वर्ग पहेली सरीखे अभ्यास दिए गए हैं।
11. अंतिम दो पाठ (27-28) रोचक चित्र कथाओं पर आधारित हैं। स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति के लिए पूर्व पाठों में सिखलाई गई भाषिक संरचनाओं का आधार लेकर कथानक और संवाद प्रस्तुत किए गए हैं।
12. चित्रों का अधिक-से-अधिक उपयोग करके भाषा-शिक्षण को आकर्षक बनाने का यत्न किया गया है, ताकि विद्यार्थी बिना किसी मानसिक दबाव के हँसते-खेलते भाषा सीख सकें।
13. नई योजना के अनुसार पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अभ्यास-पुस्तिका नहीं दी जा रही है। इसकी आपूर्ति के लिए प्रत्येक पाठ के अंत में अतिरिक्त अभ्यास दिए गए हैं।
14. आशा है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा के शिक्षण और व्यवहार कौशल से विद्यार्थी को परिचित कराने में यह पाठ्यपुस्तक सहयोगी होगी। इस पाठ्यपुस्तक के परिवर्धन हेतु अध्यापक बंधुओं की ओर से दिए गए परामर्शों का हम आभार सहित स्वागत करेंगे।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य

अक्षय कुमार दीक्षित, हिंदी शिक्षक, निगम माध्यमिक स्कूल, कैलाश कॉलोनी, नयी दिल्ली।

एच. बालसुब्रह्मण्यम्, पूर्व सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नयी दिल्ली।

गोबिंद प्रसाद, रीडर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

पूरन सहगल, निदेशक, मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, 'कृष्णायन' उषा गंज, मनासा (मध्य प्रदेश)।

बी. प्रमीला देवी, हिंदी शिक्षिका, जवाहर नवोदय विद्यालय, कागज नगर, आंध्र प्रदेश।

सदस्य-समन्वयक

प्रमोद कुमार दुबे, प्रवक्ता (हिंदी), भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आभार

पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए दिलीप सिंह, कुल सचिव, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, टी. नगर, चेन्नै; चंद्रिका माथुर, कृष्णमूर्ति स्कूल, ऋषि घाटी, कर्नाटक; अनुपम मिश्र, गाँधी शांति प्रतिष्ठान, दीनदयाल मार्ग, नयी दिल्ली और एकलव्य, भोपाल के प्रति हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हर संभव सहयोग दिया।

परिषद् उन समस्त रचनाकारों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिनकी रचनाएँ पुस्तक में शामिल की गई हैं। रचनाओं के प्रकाशनार्थ अनुमति देने के लिए नर्मदाप्रसाद खरे (कविता— तितली); प्रकाशमनु (कविता— चिट्ठी); सर्वेश्वरदयाल सक्सेना-विभा सक्सेना (कविता— हाथी); द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी (कविता— बड़े चलो) और दिनेश कुमार (कविता— फूल) के हम आभारी हैं।

पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए कमल कुमार, संगणक संचालक; भगवती अम्माल, प्रूफ रीडर; राम जी तिवारी, प्रतिलिपि संपादक और परशराम कौशिक, प्रभारी, संगणक कक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. के हम आभारी हैं।

प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी हैं।

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-सूची

आमुख

अध्यापक बंधुओं से

पहला पाठ 1
कलम

दूसरा पाठ 6
किताब

तीसरा पाठ 14
घर



सातवाँ पाठ 37
धनुष

आठवाँ पाठ 42
रूमाल

नवाँ पाठ 47
कक्षा



चौथा पाठ 20
पतंग

पाँचवाँ पाठ 26
भालू

छठा पाठ 32
झरना



दसवाँ पाठ 52
गुब्बारा

ग्यारहवाँ पाठ 57
पर्वत

- वर्णमाला
- बारहखड़ी
- संयुक्ताक्षर



बारहवाँ पाठ 65
हमारा घर

तेरहवाँ पाठ 70
कपड़े की दुकान में

चौदहवाँ पाठ 76
फूल

पंद्रहवाँ पाठ 79
बातचीत

सोलहवाँ पाठ 83
शिलांग से फ़ोन

सत्रहवाँ पाठ 88
तितली

अठारहवाँ पाठ 91
ईश्वरचंद्र विद्यासागर



उन्नीसवाँ पाठ 97
प्रदर्शनी

बीसवाँ पाठ 102
चिट्ठी

इक्कीसवाँ पाठ 104
अंगुलिमाल



बाईसवाँ पाठ 109
यात्रा की तैयारी

तेईसवाँ पाठ 114
हाथी

चौबीसवाँ पाठ 117
डॉक्टर

पच्चीसवाँ पाठ 121
जयपुर से पत्र

छब्बीसवाँ पाठ 126
बढ़े चलो

सत्ताईसवाँ पाठ 129
व्यर्थ की शंका

अट्ठाईसवाँ 135
गधा और सियार



भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।